रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP Crll

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय-पक्ष उप० वास्ते बहस दि० 19/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
19/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बहस दि० 12/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० उभयपक्ष वकील बहस सुनी। वास्ते आदेश दि० 16/7/24 को पेश हो।	
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं उपरोक्त अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली, नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	16/7/24

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 27/2021
प्रकरण दायर दिनांकः–25.02.2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 16.07.2024

उनवान

1. रामखिलाडी सैनी पुत्र मूल्या 2. मेवाराम पुत्र मूल्या 3. दिनेश पुत्र मूल्या 4. प्रेम पुत्री मूल्या 5. मल्ली पुत्री मूल्या 6. हीरालाल पुत्र मूल्या 7. गुल्ली देवी बेवा मूल्या	समस्त जाति माली निवासी बडाबास तह. बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा राजस्थान

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी बॉदीकुई जिला दौसा राज.
2. जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बसवा हाल तह. बॉदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि भूमि काश्त खाता सं. नया 72 पुराना 72 के खसरा नं. 462 रकबा 0.32 हैक्ट. वाके रामा बडाबास में स्थित है। जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से संबोधित किया जावेगा। भूमि मुतदाविया प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जिसका आवंटन प्रार्थीगण के पिता मूल्या पुत्र बुद्धा को संवत 2033 से 2036 में आवंटन कमेटी द्वारा हुई थी। जिसके पश्चात प्रार्थीगण के पिता मूल्या उक्त भूमि पर बतौर गैर खातेदारी प्राप्त हुई। उपरोक्त भूमि मुतदाविया को प्रार्थीगण के पिता को गैर खातेदारी से खातेदारी में परिवर्तन कर नामान्तकरण खातेदारी का प्रार्थीगण के पिता के नाम से खोल दिया गया। प्रार्थीगण के पिता ने अपनी खातेदारी की भूमि में रिहायश हेतु पुख्ता आवासीय मकान, पाटोल, छप्परपोश आदि बनाकर रिहायशी करता चला आ रहा था एवं तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि मुतदाविया को राजस्व अधिकारियों/कर्मचारी व सैटलमैन्ट कर्मचारियों ने सहवन से नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय नक्शे में गलत तरमीम कर खसरा नं. 462 को वन विभाग की भूमि में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 462 से करीबन एक किलोमीटर दूर दर्ज कर अंकित कर दिया जबकि वन विभाग की भूमि आराजी खसरा नं. 461 प्रार्थीगण की भूमि से एक किलोमीटर दूर है और नक्शे अनुसार प्रार्थीगण की भूमि एक नाला नुमा नक्शा में तरमीम कर खसरा नं. 462 प्रार्थीगण की भूमि दर्शा रखी है। किन्तु राजस्व अधिकारी कर्मचारी व सैटलमैन्ट कर्मचारी द्वारा सैटलमैन्ट के बाद उक्त भूमि को नक्शा में गलत इन्द्राज कर

Scanned with OKEN Scanner

वन विभाग की भूमि में दर्शा दिया गया है। जो प्रार्थीगण की रिहायश मकानात व कब्जा काश्त से एक किलोमीटर दूर है। उपरोक्त भूमि मुतदाविया को राजस्व कर्मचारी व सैटलमैन्ट कर्मचारियों ने सहवन से नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि का गलत इन्द्राज कर वन विभाग की भूमि खसरा नं. 461 के स्थान पर नक्शा पर दर्शा दिया जो गलत दर्शाया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता सं. नया 72 व पुराना 72 के ख. नं. 462 रकबा 0.32 हैक्ट. वाके मौजा बडाबास में नक्शा ट्रेस की सही दुरूस्ती कर ख. नं. 462 को पूर्व नक्शा ट्रेस की जगह दुरूस्ती कर तरमीम की जावे तथा अप्रार्थीगण को इस आशय से अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि वो प्रार्थीगण की भूमि में व कब्जा काश्त में निर्माण आदि में एवं रिहायश में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे।

अप्रार्थी सं. 01 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा यह कही पर भी नहीं बताया है कि प्रार्थीगण के पिता को किस खसरा नंबर व किस किस्म की भूमि का आवंटन हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा कोई मौका रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 462 की आड में खसरा नं. 461 जो वन विभाग की भूमि है, उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहा है जिसको हटाया जाना आवश्यक है। वन बन्दोबस्त रिकार्ड ग्राम भाण्डेडा बनखण्ड प्लान्टेशन बॉदीकुई 1957 से 60 के अनुसार वर्णित हाल खसरा नं. का 80 प्रतिशत हिस्सा वन भूमि है। हाल राजस्व खसरा मैप तथा बन बंदोबस्त खसरा नक्शा जिस पर वन भूमि को लाल स्याही से तरमीम किया हुआ है, दोनों का अवलोकन करने पर हाल ख. नं. 462 का 80 प्रतिशत हिस्सा वन भूमि में आता है। इससे लगता हुआ खसरा नं. 466 जो वर्तमान में खातेदारी में दर्ज है वह पूर्णतया वन भूमि में आता है। हाल खसरा नं. 462 की वस्तुस्थिति के संयुक्त सर्वे करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थीगण वर्तमान में रिकार्ड अनुसार वन भूमि में पक्का मकान का निर्माण कर रहा था, वन भूमि में बिना सक्षम अनुमति के गैर वानिकी कार्य किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन ना हो इसलिए भवन निर्माण कार्य बन्द करवाया गया था। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित खसरा नंबर 462 की तरमीम का दुरूस्ती नहीं की जावे। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित वन भूमि में तरमीम न की जावे। वन बन्दोबस्त रिकार्डनुसार गैर वन भूमि में तरमीम की जावे, जब तक तरमीम का दुरूस्तीकरण नहीं हो जाता, तब तक प्रार्थीगण के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा बहस में ख. नं. 462 रकबा 0.32 हैक्ट. वाके मौजा बडाबास में नक्शा ट्रेस की तरमीम की दुरूस्ती करवाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा बहस में हाल ख. नं. 462 का 80 प्रतिशत हिस्सा वन भूमि में आना तथा प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में रिकार्ड अनुसार वन भूमि में पक्का मकान का निर्माण कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया जाना बताया है। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा नक्शा ट्रेस की तरमीम की दुरूस्ती करवाये बिना वादग्रस्त भूमि में पक्का निर्माण किया गया है। तथा अप्रार्थी सं. 01 द्वारा बरूये रिकार्ड क्त निर्माण कार्य को रूकवाया गया है। तदानुसार प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का संतुलन एवं पूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष बहस मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना त प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज

Scanned with OKEN Scanner

किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

16.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner